

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गवर्नर
उप
हुक्म
मय

18/4/24

पत्रावली पेश हुई ।
वसी/अधिकारी अधिकता उपस्थित/अनुपस्थित ।
पत्रावली में आज कोई प्रमाणी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लोक पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक
को पेश हो।

17/5/24

पत्रावली पेश हुई ।
वसी/अधिकारी अधिकता उपस्थित/अनुपस्थित ।
पत्रावली में आज कोई प्रमाणी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लोक पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक
को पेश हो।

21/5/24

31/5/24

पत्रावली पेश हुई ।
वसी/अधिकारी अधिकता उपस्थित/अनुपस्थित ।
पत्रावली में आज कोई प्रमाणी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लोक पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक
को पेश हो।

19/6/24

19/6/24

पत्रावली पेश हुई ।
वसी/अधिकारी अधिकता उपस्थित/अनुपस्थित ।
पत्रावली में आज कोई प्रमाणी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लोक पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक
को पेश हो।

24/6/24

24/06/24

पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 03 की ओर से जवाब
पेश। चूंकि प्रा. पत्र विगत 05 वर्षों से लंबित
है, जो न्यायसंगत नहीं है, अतः प्रस्तुत प्रा.
पत्र एवं जवाब के आधार पर merit
based disposal किया जाना है। अप्रार्थी सं.
01, 02 प्रफॉर्म परतकार है, अतः जवाब की
आवश्यकता नहीं है। मुताबिक प्रा. पत्र -
ग्राम चावंडा, ख. सं. 214, 301, 308, 321, 721
पर वक्त settlement से काबिज हैं।
पथ लगान उनके नाम से जारी हैं। खतौनी
बंदोबस्त संवत् 2011-30 में बागसिंह वर्गरेह

रीड
कम

नम्बर व तारीख
अलफाम नो हुक
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

सासतादार खुद का बिज दर्ज है। विवादित भूमि जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज करने से पूर्व कब्जेचारी का नहीं सुना गया। जो. वि. प्रा. बिना विधिक प्रक्रिया बदरखत करने पर उताक है, अतः उन्हें पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे में दरख्त ना करें।"

मुताबिक जबाब अणर्धी सं-03-
" विवादित भूमि जो. वि. प्रा. की खातेदारी एवं कब्जे- कारत की भूमि है जिसमें निजी व्यक्ति का खातेदारी देने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।"

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों के आचार पर प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रार्थीगण recorded खातेदार नहीं हैं, अतः प्रथम दृष्टया मामला उनके विरुद्ध तय होता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फाइल- शुमार हाकर दारिखल-दफतर हो।

Reinika
उपस्थित कलक्टर
(असट इन्क) जेजपुर

